क्रमांक 769-3 जी0 एस0 II–76/5165

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा सभी उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) हरियाणा में।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय एवं सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा में।

दिनांक, चण्डीगढ़ 15, मार्च 1976

विषय:—सेवा अवधि के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अनुदान व सुविधाएं देना।

महोदय,

मुझे यह निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 9054-4 जी एस0-II–70/32230 दिनांक 22 दिसम्बर, 1970 जिसके अनुसार, अन्य सुविधाओं के इलावा मृतक कर्मचारियों के आश्रि बच्चों को डिग्री स्तर पर मुफ्त पढ़ाई की सुविधा प्रदान की जाती है। इन हिदायतों में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या डिग्री स्तर की शिक्षा में प्रोफैशनल कालेजिज/यूनिवर्सिटीज में प्राप्त की जा रही शिक्षा सम्मिलित है या नहीं। विचार करने पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान हिदायतों में इस प्रकार संशोधन कर दिया जाए :—

The benefit of free education shall be allowed upto Degree Courses (including professiona Courses), provided the children get admission in the said courses on merit and pass th examination hold from time to time.

फीस आदि की प्रतिपूर्ति का तरीका वही होगा जोकि हरियाणा सरकार के प्रतिपत्र क्रमांक 8455-5 एच जी0 एस0-11-72/37452, दिनांक 22-12-72 के पैरा 2 में दिया गया है।

इस पत्र की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

हस्ता/-

अवर सचिव प्रोटोकोल,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

क्रमांक 769–3 जी0 एस0 II 76/5166 दिनांक मार्च, 15, 1976

एक प्रति सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु महालेखाकार, हरियाणा को भेजी जाती है।